

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

सं एफ.4(7)अमे/रूल्स/लोगल/पी.आर./2014/927

जयपुर, दिनांक : 10.7.2018

अधिसूचना


राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
2. नियम 173-ड. का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173-ड. में,-
 - (i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा इस रूप में नियुक्त और अधिसूचित अपील प्राधिकारी" हटायी जायेगी; और
 - (ii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से
(विष्णु कुमार गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
6. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय), पंचायती राज / ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
8. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।


अति0 प्रशासनिक अधिकारी

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 173-E.- In rule 173-E of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996,-

(i) in sub-rule (1), the existing expression "Appellate Authority appointed and notified as such by the" shall be deleted; and

(ii) in sub-rule (3), for the existing expression "Appellate Authority", the expression "State Government" shall be substituted

By order of the Governor,

(Vishnu Kumar Goyal)

Joint Secretary to the Government

Copy to:-

1. SA to Minister, Rural Dev. & Panchayati Raj, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to State Minister, Rural Dev. & Panchayati Raj, Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Pr. Secretary, Rural Dev. & Panchayati Raj Jaipur.
4. PS to Secy. cum Commissioner, Panchayati Raj., Jaipur.
5. All Collectors. Rajasthan.
6. All Officers (Hqr.), Deptt. of Panchayati Raj.
7. All Chief Executive Officer, Zila Parishad. Rajasthan.
8. Superintendent, Government Press. Jaipur to publish the notification in part 4 (C)(G.S.I.R) Sub. Div. I of the Rajasthan Extraordinary Gazette.
9. Guard file.


Addl. Administrative Officer